



126/11

दूरभाष- 2286709
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 549/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक 24 मई 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बड़ौदा	31780100002085	IFSC Code BARBOTELARI	110.164

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
1	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०प० उसका बाजार	वार्ड नं० 2 इन्दिरा नगर में मदन के घर से रहमत, पिंदू व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	15.470
2	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०प० उसका बाजार	वार्ड नं० 2 इन्दिरा नगर में रहमत अली के घर नागेन्द्र, देवेन्द्र, शिवसरन, देवकी, किषोरी, प्रहलाद व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	13.484
3	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०प० उसका बाजार	वार्ड नं० 2 इन्दिरा नगर में दुर्गेश के घर से सुन्दर के घर होते हुए राकेश व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	14.609
4	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०प० उसका बाजार	वार्ड नं० 2 इन्दिरा नगर में पिच रोड से विजय के घर से गोविन्द एवं राजकुमार, लालमन, श्रीधर व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	15.995
5	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	वार्ड नं० 3 मो० सरोजनी नगर में आजाद अनवर के घर से तनवीर, वरकत, महेश, हाजी दिनेश, तौफीक व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.544
6	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	वार्ड नं० 3 मो० सरोजनी नगर मो० में इण्टरलाकिंग रोड से डम्पू, सुधीर, रतन, मिठाई व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.703
7	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	वार्ड नं० 3 मो० सरोजनी नगर में बुद्धेश के घर से पंगुल, लवकुष, मोनू व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण।	13.200
8	सिद्धार्थनगर	एससीपी-83	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	वार्ड नं० 3 मो० सरोजनी नगर में वरन के घर से अंजू एवं मेवाती, प्रकाश, कौषल वर्मा व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण।	12.159
	योग				110.164

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



126/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नव योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बरितियों तथा मलिन बरितियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोक की गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि0 अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल-सूडा।
4. लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक